राष्ट्रीय सहारा
www.rashtriyasahara.com
नई दिल्ली। शनिवार • 12 नवम्बर • 2022

डीयू दाखिले में सीट आवंटन का तीसरा चरण रविवार से शुरू

नई दिल्ली, (भाषा)। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के पंजीयक विकास गुप्ता ने कहा कि स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए तीसरे चरण के सीट आवंटन की घोषणा रविवार को की जाएगी। सामान्य सीट आवंटन प्रणाली (सीएसएएस) के तीसरे चरण में पाठ्येत्तर गतिविधियां (ईसीए), खेल, सीडब्ल्यू (सशस्त्र बल के सैनिकों के बच्चे तथा विधवा) और कश्मीरी शरणार्थी समेत सभी अतिरिक्त कोटे में दाखिले दिए जाएंगे।

सीट आवंटन का तीसरा चरण बृहस्पतिवार को शुरू होना था लेकिन विश्वविद्यालय ने बुधवार को घोषणा की कि इसका कार्यक्रम बदल दिया गया है। अब यह चरण रविवार शाम पांच बजे शुरू होगा और 20 नवम्बर को खत्म होगा। विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तीसरे चरण में देरी इसलिए की गयी क्योंकि विश्वविद्यालय को सभी अतिरिक्त सीटों जैसे कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के तहत दाखिले के लिए सूची तैयार करने में थोड़ा समय चाहिए था। अभी तक दो चरणों में सीट आवंटन पूरा हो गया है। विश्वविद्यालय की स्नातक पाठ्यक्रमों की 70,000 सीटों में से 61,500 से अधिक पर दाखिले हो चुके हैं। इस बीच, विश्वविद्यालय को पाठ्यक्रम के बीच में दाखिले के लिए 1,008 आवेदन मिले हैं। विश्वविद्यालय ने इन आवेदनों के लिए पांच से सात नवंबर तक का समय दिया था। दिल्ली विश्वविद्यालय इस बार छात्रों के 12वीं कक्षा के अंकों के बजाय विश्वविद्यालयीन सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) के अंकों के आधार पर दाखिले दे रही है।

> **तीसरे चरण में ईसीए, सैनिकों के बच्चे, विधवा, और कश्मीरी शरणार्थी समेत सभी अतिरिक्त कोटे में दाखिले दिए जाएंगे**

सिख समुदाय नानकशाही कैलेंडर के अनुसार दिवस मनाता है : डीएसजीएमसी

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली सिख गुरु द्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अपील की है कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का शहीदी दिवस नानकशाही कैलेंडर के अनुसार 24 नवम्बर के बजाय 28 नवम्बर को मनाया जाए।

मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कालका और महासचिव सरदार जगदीप सिंह काहलों ने कहा कि सिख समुदाय नानकशाही कैलेंडर का पालन करता है तथा दुनिया भर के सिख संगठन व संस्थाएं इसी कैलेंडर के अनुसार महत्वपूर्ण दिवस मनाती है इसलिए नानकशाही कैलेंडर के अनुसार नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का शहादत दिवस 28 नवम्बर है। उन्होंने बताया कि संज्ञान में आया है कि सरकार ने गुरु तेग बहादुर साहिब जी के शहीदी दिवस पर 24 नवम्बर को अवकाश के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि गलत है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली के सिखों द्वारा निर्वाचित संस्था है इसलिए वह अपील करती है कि इसमें संशोधन करते हुए गुरु तेग बहादुर साहिब जी का शहीदी दिवस 24 नवम्बर की बजाय 28 नवम्बर को मनाया जाए ताकि सिख संगठनों व दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी द्वारा दिल्ली के विभिन्न गुरुद्वारा साहिबानों में आयोजित कार्यक्रमों दिल्ली की संगत अधिक से अधिक संख्या में भाग ले सके।

> **डीएसजीएमसी ने सीएम केजरीवाल से अपील की कि शहीदी दिवस 28 नवम्बर को मनाया जाए**

साहित्य अकादमी का पुस्तक मेला 'पुस्तकायन' शुरू

नई दिल्ली (एसएनबी)। जानीमानी लेखिका नासिरा शर्मा ने साहित्य अकादमी द्वारा शुक्रवार से शुरू हुए 'पुस्तकायन' पुस्तक मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष माधव कौशिक, संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव उमा नंदूरी, राज्यसभा सांसद सत्यनारायण जटिया भी उपस्थित थे। इस मौके पर नासिरा शर्मा ने कहा कि इस तरह के पुस्तक मेलों के आयोजनों से ही हम बच्चों और युवाओं को ज़रूरी संस्कार दे सकते है। 'बाल साहित्य' की थीम पर केंद्रित इस पुस्तक मेले के लिए साहित्य अकादमी को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि मैं खुद को बाल लेखिका ही मानती हूं और बच्चों के बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। राज्यसभा सांसद सत्यनारायण जटिया ने बच्चों को पिछले इतिहास और क्रांतिकारियों से सीखने की अपील करते हुए कहा कि बच्चे ही इस राष्ट्र की नींव को और मजबूत करेंगे।

जेएनयू संघर्ष : दिल्ली पुलिस ने दर्ज की दो अलग-अलग प्राथमिकी

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) परिसर में छात्रों के दो समूहों के बीच हाथापाई के संबंध में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक हाथापाई में बृहस्पतिवार को दो छात्र घायल हो गए, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक ही छात्र के घायल होने का दावा किया है। सूत्रों के अनुसार, बुधवार को नर्मदा छात्रावास के पास जन्मदिन की पार्टी के दौरान हाथापाई की घटना हुई थी।

डीसीपी मनोज सी ने कहा कि जेएनयू छात्र निशांत नागर की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से रोकना) और 34 (साझा मंशा) के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होंने आगे कहा कि जेएनयू के एक अन्य छात्र कार्तिक की शिकायत पर वसंत कुंज (उत्तर) पुलिस स्टेशन में इसी तरह की धाराओं के तहत दूसरी प्राथमिकी दर्ज की है और आगे की जांच जारी है। सोशल मीडिया पर कुछ कथित वीडियो क्लिप प्रसारित किए गए, जिसमें दिख रहा है कि कुछ छात्र परिसर में हाथ में लाठियां लिए भाग रहे हैं। एक वीडियो में नकाबपोश छात्रों को लाठियों के साथ देखा गया था। छात्रों में से एक ने जेएनयू की स्वेटशर्ट पहन रखी थी। पुलिस के मुताबिक वह सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो की सत्यता की जांच करेंगे। पुलिस और विश्वविद्यालय के सूत्र बताते हैं कि घटना में कोई भी राजनीतिक समूह शामिल नहीं है।

जेएनयू परिसर में हुई इस झड़प को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुरक्षा शाखा को आवश्यक कदम उठाने और घटना पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। बृहस्पतिवार को नर्मदा छात्रावास के पास हुई हाथापाई की यह घटना एक दिन पहले एक जन्मदिन की पार्टी में हुई घटनाओं का नतीजा थी। जेएनयू प्रशासन के बृहस्पतिवार रात जारी एक बयान के मुताबिक विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिसर में किसी भी प्रकार की हिंसा को बर्दाश्त न करने वाली नीति के अपने संकल्प को दोहराया और छात्रों से हिंसा का सहारा लेने से बचने की अपील की। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा, ''विश्वविद्यालय प्रशासन के संज्ञान में आया है कि निजी रंजिश को लेकर परिसर में छात्रों के दो समूहों के बीच हाथापाई हो गई। जेएनयू प्राधिकरण ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डीन ऑफ स्टूडेंट्स और सुरक्षा शाखा को आवश्यक कदम उठाने और घटना पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।''

आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

Aavas FINANCIERS LTD
SAPNE AAPKE, SAATH HAMAARA

(पूर्व में ''ए यू हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड'' के नाम से ज्ञात) (CIN: L65922RJ2011PLC034297)
पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय: 201-202, द्वितीय मंजिल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020

कब्जा नोटिस

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड (पूर्व में ''ए यू हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड'' के नाम से ज्ञात) का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002'' की धारा 13(12) और सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणियों को मांग सूचना पत्र जारी किया गया। नीचे तालिका में उनके सामने दर्शाए अनुसार राशि का मांग पत्र प्राप्ति के 60 दिन के अंदर भुगतान करने की मांग की गयी। यह है कि ऋणी सम्बंधित राशियों का भुगतान करने में विफल रहे अत: ऋणीयों तथा आम जनता को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त एक्ट की धारा 13(4) सहपठित नियम 9 के नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों का अधिपत्य तालिका में उनके सामने दर्शाई गई दिनांक को ग्रहण कर लिया है। ऋणियों व जमानतियों को विशिष्टया तथा सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्तियों के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। इन सम्पत्तियों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार निम्न खातों के सामने दर्शाई गई बकाया राशि तथा उन पर ब्याज व खर्चों के लिए आवास फाईनेंस आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड (पूर्व में ''ए यू हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड'' के नाम से ज्ञात) के प्रभार के अध्यधीन होगा।

ऋणी का नाम	धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक संपत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख एवं प्रकार
उत्तम कुमार, श्रीमती सरला देवी खाता सं. LNDEL00315-160015368	10 जून 2022 ₹ 1422430.28/- बकाया दिनांक 9 जून 2022 तक	सम्पत्ति नं. यूजी-002, ऊपरी ग्राउण्ड फ्लोर, ए-1, सिगनेचर टॉवर सम्पत्ति नं. ए-1, खसरा नं. 1824, शताब्दीपुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल 535 वर्ग फीट	भौतिक कब्जा दिनांक 7 नवम्बर 2022

स्थान : जयपुर दिनांक 12-11-2022 प्राधिकृत अधिकारी आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पश्चिम), मुम्बई - 400069.
नोएडा शाखा : दुकान 2 एवं 3, पहली मंजिल, आरसी मार्केट मैन दादरी रोड़, भंगेल, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर - 201304 (उ.प्र.)
साहिबाबाद शाखा: दूसरी मंजिल, प्लॉट नं.-ए -1, ब्लॉक-ए, श्याम पार्क, मेट्रो स्टेशन से सटे साहिबाबाद के पास, जगोला, परगना लोनी, गाजियाबाद-201005, (उ.प्र.)।

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL) के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के 60 दिवस में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्रं.	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता(ओ) (शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य की दिनांक
1	(कम्बाइन-एलसी-नंबर 06900000468 / नोएडा शाखा) ज्योति वर्मा (उधारकर्ता) रवि वर्मा (सह-उधारकर्ता) नरेश भारद्वाज (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, खसरा नंबर 137 फ्लैट नंबर 003 एलएचएस फ्रंट साइड अपर ग्राउंड फ्लोर गोल्डन नेस्ट अपार्टमेंट ग्राम बसई बी राउदीन तेह दादरी जिला गौतमबुद्ध नगर, उ.प्र. 203207. **चर्तुसीमा :** पूर्व- फ्लैट नं. 004, पश्चिम - 20 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर - 18 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण - प्रवेश के बाद लिफ्ट	11-07-2022 & ₹ 19,52,708/-	07.11.2022
2	(कम्बाइन-एलसी-नंबर 06900001188 / नोएडा शाखा) कश्मीरी (उधारकर्ता) योगेंद्र सिंह (सह-उधारकर्ता) संदीप कुमार (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, ख नं 331 3070 प्लॉट नंबर बी 147 ब्लॉक बी ड्रीम सिटी विला धूम मानिकपुर तेह दादरी जिला जीबी नगर, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, 203207, **चर्तुसीमा :** पूर्व -20 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम - प्लॉट नंबर बी-106, उत्तर - 20 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण - प्लॉट नंबर 146	11-07-2022 & ₹ 9,59,910/-	07.11.2022
3	(कम्बाइन-एलसी-नंबर 06900000493 / नोएडा शाखा) राज कुमार (उधारकर्ता) कमलेश देवी (सह-उधारकर्ता)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, खसरा नंबर 748 प्लॉट नंबर 1 राजधानी एस्टेट 2 गांव महावर तेह दादरी जिला जी बी नगर, गौतमबुद्ध नगर, उ.प्र. 203207. चर्तुसीमा : पूर्व- अन्य भूमि, पश्चिम-भूखंड क्रं., उत्तर-अन्य भूमि, दक्षिण- 18 फीट चौड़ी सड़क	11-07-2022 & ₹ 5,22,983/-	07.11.2022
4	(कम्बाइन-एलसी-नंबर 06900001076/नोएडा शाखा) योगेंद्र नरेश कुमार (उधारकर्ता) नरेश कुमार (सह-उधारकर्ता) योगिंद्र चंद्र पाल (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, खसरा नंबर 331 3070 प्लॉट नंबर 120 ब्लॉक बी ड्रीम सिटी गांव धूमनिकपुर तह दादरी जिला जी बी नगर, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, 203207, **चर्तुसीमा :** पूर्व-प्लॉट नं. 133, पश्चिम - 20 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर - प्लॉट नं. 119, दक्षिण - प्लॉट नं. 121	18-07-2022 & ₹ 3,98,832/-	07.11.2022
5	(कम्बाइन-एलसी-नंबर 06900001285 / नोएडा शाखा) सुनील कुमार (उधारकर्ता) रेखा रानी (सह-उधारकर्ता)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, खसरा नंबर 121 123 124 127 130 फ्लैट नंबर ई 4 4थीं मंजिल आरएचएस रियर साइड नवयुग अपार्टमेंट, ग्राम सरफाबाद तेह दादरी जिला जीबी नगर, गौतमबुद्ध नगर, उ.प्र. 201301. **चर्तुसीमा :** पूर्व-अन्य संपत्ति, पश्चिम - प्रवेश के बाद फ्लैट नं. ई1, उत्तर-फ्लैट नं. ई3, दक्षिण-साई पब्लिक स्कूल	18-07-2022 & ₹ 12,38,019/-	07.11.2022
6	(कम्बाइन-एलसी-नंबर 06900000265 / नोएडा शाखा) सरोज सुशील (उधारकर्ता) वरुण शर्मा (सह-उधारकर्ता) मोनू कुमार (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, मकान नंबर 45 खसरा नंबर 226 ग्राम छपोला दादरी जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, 203207. **चर्तुसीमा :** पूर्व - 18 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम-अन्य प्लॉट, उत्तर - सत्यनगर का प्लॉट, दक्षिण - विमला देवी का प्लॉट	18-07-2022 & ₹ 3,73,341/-	07.11.2022
7	(कम्बाइन-एलसी-नंबर 06900000347 / नोएडा शाखा) रश्मि सिंह (उधारकर्ता) अविनाश कुमार सिंह (सह-उधारकर्ता) सुधांशु कुमार झा (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, खसरा नंबर 80 81 फ्लैट नंबर 301 एलएचएस दूसरी मंजिल बृज विहिर अपा. आर्या नगर गली नंबर 3 ग्राम सरफाबाद तह दादरी जिला जीबी नगर, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, 203207, **चर्तुसीमा :** पूर्व-प्रवेश के बाद फ्लैट नं. 302, पश्चिम - साई लक्ष्मी भवन, उत्तर - अन्य संपत्ति, दक्षिण - सिद्दि के बाद सड़क	18-07-2022 & ₹ 9,75,101/-	07.11.2022
8	(कम्बाइन-एलसी-नंबर 05300000557/ साहिबाबाद शाखा) रोहन कुमार पाठक (उधारकर्ता) आरती पाठक (सह-उधारकर्ता) शिव कुमार पाठक (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, खसरा नंबर 1525 प्लॉट नंबर 67 आदर्श वाटिका गांव धूममनिकपुर तह दादरी, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, **चर्तुसीमा** : पूर्व-प्लॉट नं. 102, पश्चिम- 18 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर-प्लॉट नं. 68, दक्षिण- प्लॉट नं. 66 (मुकेश यादव)	21-07-2022 & ₹ 8,79,908/-	07.11.2022

स्थान : दिल्ली एनसीआर/ उत्तर प्रदेश
दिनांक : 12.11.2022

प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

kotak

कॉर्पोरेट पहचान संख्या – L65110MH1985PLCO38137
पंजीकृत कार्यालय : 27, बीकेसी, सी–27, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051 शाखा कार्यालय : 1/11, प्रथम तल, पूर्वी पटेल नगर, नई दिल्ली –110 008

अचल संपत्तियों की ई–नीलामी बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के साथ पठित नियम 9 (1) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार (रों), गारंटर (रों) और/या बंधकदाता (ओं) को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति **कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड** ("प्रतिभूत लेनदार") को बंधक/प्रभारित की गई है, जिसका कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड की कर्जदारों नामतः **मैसर्स शिव शंकर ऐंड कम्पनी ग्रेन्स प्रा. लिमिटेड ("कर्जदार") और 1. श्री शिव शंकर बंसल, 2. श्री गौरी शंकर बंसल, 3. श्रीमती नीलम बंसल, 4. मैसर्स एच जी एग्रो फूड्स प्रा. लि. ("गारंटर तथा/अथवा बंधकदाता")** की तरफ मांग सूचना दिनांकित 03–11–2017 के अनुसार 31–10–2017 तक बकाया **रु. 30,93,08,393/– (रूपए तीस करोड़ तिरानवे लाख आठ हजार तीन सौ तिरानवे मात्र)** पूर्ण और अंतिम भुगतान/वसूली तक आगे चक्रवृद्धि आधार पर संविदात्मक दर पर ब्याज और अन्य प्रभारों की वसूली के लिए दिनांक **6 दिसम्बर, 2022** को ई–नीलामी के माध्यम से **"जैसा है जहां है आधार", "जैसा है जैसा है आधार"** और **"जो कुछ भी है आधार"** पर बेची जाएगी।

नीलामी के लिए रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/वर्णन, सुरक्षित मूल्य, धरोहर राशि और नीलामी कार्यक्रम नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	बंधकदाता/ओं का नाम	ई–नीलामी हेतु प्रस्तुत अचल/चल सम्पत्ति का विस्तृत विवरण	सुरक्षित मूल्य (आईएनआर)/धरोहर राशि जमा
1	श्री शिव शंकर बंसल तथा श्री गौरी शंकर बंसल,	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति सं. 23 का सम्पूर्ण प्रथम और द्वितीय तल, छत के अधिकारों के साथ, ब्लॉक ए, परिमाप कुल क्षेत्रफल 300 वर्ग गज, उसके नीचे भूमि मे यथानुपात अविभाजित हिस्सा सहित, स्थित अशोक विहार, फेज–1, दिल्ली–92 और सम्पत्ति की चौहद्दी निम्नानुसार है — उत्तर : 60 फीट चौड़ी रोड, दक्षिण : सर्विस लेन, पूरब : प्लॉट नंबर 22, पश्चिम : प्लॉट नंबर 24	रु. 5,60,00,000/– (रूपए पांच करोड़ साठ लाख मात्र) रु. 56,00,000/– (रूपए छप्पन लाख मात्र)

अधोहस्ताक्षरी अपने पूर्ण विवेक पर और संभावित खरीदारों के पूर्व अनुरोध पर, उक्त संपत्ति के निरीक्षण की व्यवस्था, अपने अधिकृत प्रतिनिधि/एजेंट के माध्यम से **25 नवम्बर, 2022 को अपराह्न 03.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक के बीच** कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण नियम और शर्तें :

1. ई–नीलामी केवल "ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली" के माध्यम से वेबसाइट www.bankeauctions.com के माध्यम से 6 दिसम्बर 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक के बीच, 5 मिनट प्रत्येक की अवधि के असीमित विस्तार के साथ, आयोजित की जाएगी। ई–नीलामी के बारे में विवरण के लिए इच्छुक बोलीदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. लिमिटेड, तृतीय तल, प्लॉट नंबर 68, सेक्टर–44, गुड़गांव, हरियाणा से सम्पर्क कर सकते हैं, सम्पर्क व्यक्ति श्री विनोद चौहान– 98138–87931, ईमेल : delhi@c1india.com और support@bankeauctions.com. हेल्पलाइन नंबर 91–124 4302020/ 2021/2022/2023/2024. सपोर्ट मोबाइल नंबर + 91–7291981124/25/26. 2. इच्छुक बोलीदाता नीलामी विवरण और बिक्री के नियम और शर्तों के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट–https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html और/या https://auctions.kotak.com पर जा सकते हैं। 3. नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, बोलीदाताओं को पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर जाने की सलाह दी जाती है और बोली प्रक्रिया में भाग लेने वाले बोलीदाताओं के लिए उक्त नियम और शर्तें बाध्यकारी होंगी। 4. यह अनुरोध किया जाता है कि इच्छुक बोलीदाताओं को बोली और अन्य दस्तावेज अपलोड करने से पहले पोर्टल https://www.bankeauctions.com से लॉगइन आईडी और पासवर्ड जनरेट करना आवश्यक है। 5. बोली प्रपत्र निर्धारित प्रपत्र में भरा जाना है और केवल बोलीदाता के केवाईसी दस्तावेजों के साथ पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर 5 दिसम्बर, 2022 तक या उससे पहले 4.00 अपराह्न तक ऑनलाइन अपलोड किया जाना है, और विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित बोली दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां और बोलीदाताओं के केवाईसी manu.shrotriya@kotak.com और vikram.sharma@kotak.com पर मेल द्वारा भेजे जाने चाहिए। बोलीदाता को ईमेल का विषय **"मैसर्स शिव शंकर ऐंड कम्पनी ग्रेन्स प्रा. लिमिटेड के खाते में संपत्ति के क्रय हेतु"** लिखना चाहिए। 6. संभावित बोलीदाता, मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से लॉगइन आईडी और पासवर्ड बनाने और ऑनलाइन बोली प्रक्रिया आदि के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण उपरोक्त नंबरों पर प्राप्त कर सकते हैं। 7. धरोहर राशि जमा (ईएमडी) **आरटीजीएस/एनईएफटी/निधि अंतरण** के माध्यम से **खाता संख्या 06410125272001, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड,** नरीमन प्वाइंट शाखा, मुंबई, आईएफएससी कोड : KKBK0000958, 5 दिसम्बर, 2022 को या उससे पहले शाम 04.00 बजे तक जमा करनी होगी। आरटीजीएस/एनईएफटी/निधि अंतरण केवल इच्छुक बोलीदाताओं के खातों से ही किया जाएगा। किसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण ईएमडी और मै जमा करने में या निर्धारित समय सीमा के भीतर बोली दस्तावेज जमा करने में देरी के मामले में, अधिकृत अधिकारी, अधिकतम बोली भागीदारी और परस्पर बोली प्रक्रिया, अपने विवेकाधिकार पर और उसकी संतुष्टि पर, किसी भी व्यक्ति को कोई प्रकटीकरण दिए बिना निर्धारित कटऑफ समय के बाद प्राप्त बोली को स्वीकार कर सकते हैं। ईएमडी राशि जमा किए बिना जमा की गई कोई भी बोली स्वतः निरस्त मानी जाएगी। प्रस्तावित बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी पर कोई ब्याज नही मिलेगा। 8. प्रस्तुत की जाने वाली बोली मूल्य आरक्षित मूल्य के बराबर और/या उससे अधिक होगी और बोली प्रक्रिया के दौरान, बोली लगाने वाले बोलीदाताओं को अपनी बोली रुपये 1,00,000/– (रुपये एक लाख मात्र) के गुणकों में बढ़ानी होगी। 9. यदि कोई बोली ई–नीलामी कार्यवाही के समापन समय के अंतिम 5 मिनट के भीतर रखी जाती है, तो समापन समय स्वचालित रूप से और तुरंत 5 मिनट तक बढ़ा दिया जाएगा जैसा कि ऊपर बताया गया है। 10. सफल बोलीदाता को उच्चतम बोली राशि का 25% (पहले से भुगतान की गई ईएमडी सहित) ई–नीलामी बिक्री की कार्यवाही बंद होने पर या ई–नीलामी के दिन व्यावसायिक घंटे बंद होने की स्थिति मे अगले कार्य दिवस पर ऊपर निर्धारित मोड में जमा करना होगा। उच्चतम बोली राशि का शेष 75% उस तारीख से 15 दिनों, जिस दिन ऐसे सफल बोलीदाता को बिक्री की स्वीकृति/पुष्टि की जाती है या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जमा करना होगा, जो अधिकृत अधिकारी के विवेकाधिकार पर और सरफेसी अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित नियमावली, 2002 के प्रावधानों के भीतर होगी। कृपया ध्यान दें कि बिक्री प्रतिफल के भुगतान के लिए समय सीमा नही बढ़ाई जाएगी और सफल नीलामी खरीदार को घटना में दैवीय आपदा के आधार पर दावा करने का कोई अधिकार नही होगा, यदि वह किसी भी कारण से निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है। 11. उच्चतम बोली लगाने वाले का संपत्ति पर तब तक कोई अधिकार और हक नही होगा जब तक कि उसके पक्ष में बिक्री प्रमाण पत्र जारी नही किया जाता है, जो संपूर्ण नीलामी मूल्य और अन्य आकस्मिक खर्चों की वसूली के अधीन है। बिक्री ई–नीलामी के नियमों और शर्तों के अधीन होगी और उस प्रभाव के लिए सुरक्षित लेनदार द्वारा पुष्टि की जाएगी। 12. यदि सफल बोलीदाता पूरी बोली/नीलामी राशि जमा करने में विफल रहता है, तो सफल बोलीदाता द्वारा पहले ही जमा की गई राशि को जब्त कर लिया जाएगा और चूककर्ता बोलीदाता का न तो संपत्ति पर और न ही जमा की गई राशि पर दावा होगा। प्राधिकृत अधिकारी नीलामी संपत्ति/संपत्तियों के संबंध में सरफासी ऐक्ट, 2002 और प्रतिभूति हित नियमावली, 2002 के प्रावधानों के अनुसार उसे उपलब्ध किसी एक या अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। 13. उपरोक्त वर्णित निर्धारित अवधि के भीतर संपूर्ण बिक्री प्रतिफल प्राप्त होने पर, अधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाण पत्र जारी करेगा, उसके बाद बिक्री पूरी हो जाएगी, और उसके बाद **कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड** किसी भी दावे पर विचार नही करेगा। 14. बिक्री प्रमाण पत्र उसी नाम से जारी किया जाएगा जिसमें बोली जमा की गई है। बोली में उल्लिखित किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) के नामों के बिक्री प्रमाण पत्र में शामिल/प्रतिस्थापन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नही किया जाएगा। 15. असफल बोलीदाताओं को ईएमडी राशि, **कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड** द्वारा उनके खातों में आरटीजीएस/एनईएफटी/फंड ट्रांसफर के माध्यम से, 10 (दस) कार्य दिवसों के भीतर और बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 16. अधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या अधिसूचित ई–नीलामी बिक्री को स्थगित/रद्द करने का पूर्ण अधिकार है। बोली जमा करने के बाद ई–नीलामी बिक्री के स्थगित/रद्द करने की स्थिति में, बोलीदाताओं द्वारा जमा की गई ईएमडी बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी और यदि बोलियां खारिज कर दी जाती हैं, तो अधिकृत अधिकारी, निजी संधि द्वारा संपत्ति की बिक्री के लिए, किसी भी बोलीदाता या अन्य पार्टियों के साथ बातचीत कर सकता है। 17. यदि कोई बोलीदाता नीलामी के तहत 1 से अधिक सम्पत्ति के लिए बोली लगाने का इच्छुक है, तो बोलीदाता को उपरिवर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए हर सम्पत्ति के लिए अलग बोली प्रस्तुत करनी होगी। 18. ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विवरण अधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन अधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नही होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि, यह निमंत्रण संभावित बोलीदाताओं को आमंत्रित करने के लिए है और नीलामी को प्रभावित करने के लिए अधिकृत अधिकारी या कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड की ओर से किसी भी प्रकार का बाध्यकारी दायित्व नही बनाता है। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए और बिना किसी दायित्व के प्रक्रिया को रद्द या संशोधित करने और/या स्वीकार नही करने और/या किसी भी इच्छुक पार्टी/संभावित निवेशक/बोलीदाता को अयोग्य घोषित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 19. संभावित बोलीदाताओं को एतद्द्वारा सूचना/चेतावनी दी जाती है कि बैंक को माननीय डीआरटी–1, दिल्ली के समक्ष प्रतिभूतिकरण आवेदन (एस.ए.) सं. 126/2019 के लम्बित होने के अतिरिक्त किसी ऋणभार की जानकारी नही है। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे स्थानीय प्राधिकरण की बकाया राशि अर्थात नगरपालिका कर, रखरखाव/सोसाइटी शुल्क, बिजली और पानी के शुल्क और हस्तांतरण शुल्क/प्रभार सहित किसी भी अन्य बकाया या करों के संबंध में स्वतंत्र जांच करें। प्राधिकृत अधिकारी या बैंक नीलाम की गई संपत्ति के संबंध में सरकार या किसी अन्य व्यक्ति के किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार, भार या किसी अन्य देय राशि के लिए जिम्मेदार नही होगा। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर की बकाया, बिजली बकाया आदि सहित संपत्ति पर भार के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच करें। यदि नीलामी प्रक्रिया के बाद, बिक्री प्रमाणपत्र पंजीकरण और कब्जा हस्तांतरण तक किसी भी समय, बैंक को आगे कार्यवाही की मनाही, किंतु उसी तक सीमित नही, का आदेश किया जाता है, तो बैंक अब तक जमा किया जा चुका धन, अपने विवेक के आधार पर, सम्पत्ति की बिक्री के निमित्त जमा की जा चुकी राशि बिना किसी ब्याज तथा/अथवा क्षतिपूर्ति तथा/अथवा दावों के वापस करेगा। 20. यदि बोली लगाने वाले को ई–नीलामी बिक्री में सफल बोलीदाता घोषित किया जाता है और उसके बाद, यदि नीलामी की कार्यवाही किसी भी न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा, बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने और कब्जा सौंपने तक किसी भी स्तर पर रोक दी जाती है, जिसमें बैंक को आगे की कार्यवाही से रोकना शामिल है, तो बोलीदाता के पास उसके द्वारा जमा की गई ईएमडी/राशि या संपत्ति की बिक्री के लिए जमा की गई राशि पर किसी भी ब्याज की वापसी का दावा करने का कोई अधिकार नही होगा। बैंक अपने विवेकाधिकार पर बिना किसी ब्याज और/या हर्जाने और/या दावों के जमा की गई धनराशि वापस कर देगा और किसी भी प्रकार के संचार पर विचार नही किया जाएगा। 21. पंजीकरण शुल्क, स्टांप शुल्क, कर आदि सहित सभी वैधानिक देय/अन्य देय राशि क्रेता को वहन करनी होगी। 22. वर्तमान नोटिस के तहत नीलामी–सह–बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के संबंध में सभी आउटगोइंग शुल्क यानी नगरपालिका कर, रखरखाव/सोसाइटी शुल्क, बिजली और पानी के शुल्क और किसी भी अन्य बकाया या करों का भुगतान नीलामी खरीददार द्वारा ही किया जाएगा। 23. अन्य सभी आकस्मिक शुल्क (वर्तमान नीलामी के तहत संपत्ति के संरक्षण के लिए सुरक्षा शुल्क या रखरखाव शुल्क सहित लेकिन सीमित नही) बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से उच्चतम बोली लगाने वाले द्वारा वहन किया जाएगा, जिसे बिक्री प्रमाण पत्र के पंजीकरण से पहले बैंक को अदा/प्रतिपूर्ति करनी होगी। हालांकि, प्राधिकृत अधिकारी के विवेकाधिकार पर, भविष्य के लिए कोई मिसाल कायम किए बिना, किसी भी न्यायोचित और तर्कसंगत देरी को छूट के लिए माना जाएगा। 24. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194–ए के अनुसार, यदि बिक्री प्रतिफल रु. 50,00,000.00 (पचास लाख रुपये मात्र) और उससे अधिक है, तो बिक्री से प्राप्त राशि पर टीडीएस लागू होगा। सफल बोलीदाता/खरीदार बिक्री मूल्य से बंधक रखने वाले श्री शिव शंकर बंसल के पैन नंबर– AAHPB6855D तथा श्री गौरी शंकर बंसल पैन नंबर AAHPB6896J पक्ष में 0.5 : 0.5 के अनुपात में लागू टीडीएस (1%) काटकर जमा करेगा और उसे आयकर विभाग के पास जमा करेगा। इसके अलावा, बिक्री मूल्य का केवल 99% बैंक को प्रेषित किया जाना है। सफल बोलीदाता/क्रेता के पक्ष में बैंक द्वारा बिक्री प्रमाण पत्र केवल फॉर्म 16बी, फॉर्म 26क्यूबी और ऐसे टीडीएस की जमा राशि के चालान के प्राप्त होने पर जारी किया जाएगा। 25. ई–नीलामी "जैसा है जहां है आधार", "जैसा है जैसा है आधार" और "जो कुछ भी है आधार" यहाँ उल्लिखित नियमों और शर्तों के आधार पर आयोजित की जाएगी, हालांकि प्राधिकृत अधिकारी के पास किसी भी नियम और शर्तों को बदलने/परिवर्तित करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली जमा करने से पहले संपत्ति की प्रकृति और विवरण, स्थिति, किसी भी भार, ग्रहणाधिकार, प्रभार, वैधानिक बकाया आदि के बारे में किसी भी भार के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करें, उप–पंजीयक कार्यालय और राजस्व रिकॉर्ड / नगरपालिका रिकॉर्ड और संबंधित संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रशासनिक सरकारी रिकॉर्ड में खोजें और खुद को संतुष्ट करें। कृपया ध्यान दें कि बैंक/अधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार नीलामी के तहत संपत्ति/संपत्तियों/संपत्तियों की फिटनेस/शीर्षक के संबंध में किसी भी तरह से गारंटी या कोई प्रतिनिधित्व नही करता है। बिक्री/नीलामी पूर्णतया बिना किसी सहारा के आधार पर होगी। 26. यदि सभी लागतों के साथ बैंक की देय राशि, उनके द्वारा या उसके द्वारा किए गए खर्च, जो बैंक को स्वीकार्य हो सकते हैं, कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता/ओं की ओर से बिक्री के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पहले किसी भी समय अदा किए जाते हैं, तो नीलामी के लिए प्रस्तुत संपत्ति की बिक्री रद्द की जा सकती है। प्राधिकृत अधिकारी के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि स्वीकार्य नही पाया जाता है या बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित है और इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा। 27. प्रतिभूत परिसंपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। यदि बैंक या उसकी ओर से किए गए सभी लागतों, प्रभारों और व्ययों के साथ बैंक की धरोहर राशि या सुरक्षित मूल्य से अधिक राशि या इंटर–से बिडिंग के बाद उच्चतम बोली मूल्य से अधिक राशि, जैसा कि बैंक को स्वीकार्य हो सकता है, ऋणी/गारंटर/बंधक की ओर से/की ओर से, उनके द्वारा पहचाने गए एजेंटों/खरीदारों/निवेशकों के माध्यम से भी नीलामी के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पहले किसी भी समय, बिक्री या नीलामी की उसी तारीख को या बोली की औपचारिकताओं के पूरा होने से पहले/बाद में उच्चतम बोली लगाने वाले की घोषणा सहित और बिक्री पुष्टि पत्र जारी करने के बाद भी लेकिन सफल बोली लगाने वाले को बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने से पहले, बैंक को प्रदान कर दी जाती है/प्रदान करने का वचन दिया जाता है, तो संपत्ति की नीलामी/बिक्री प्राधिकृत अधिकारी के पूर्ण विवेक पर और बिना कोई कारण बताए रद्द की जा सकती है। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी/सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि स्वीकार्य नही पाया जाता है या बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद कर या बदल सकता है और इस संबंध में उनका निर्णय होगा अंतिम होगा। बोलीदाता और/या सफल–बोलीदाता द्वारा किसी भी प्रति–प्रस्ताव/सशर्त प्रस्ताव/शर्तों पर विचार नही किया जाएगा। यह माना जाएगा कि बोलीदाताओं ने बिक्री के नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उक्त नियमों और शर्तों का पालन करेंगे। 28. बोलीदाताओं को बिक्री के नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया गया माना जाएगा और वे उक्त नियमों और शर्तों का पालन करेंगे। 29. बोलीदाताओं को उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी ; पावर बैक अप आदि, सुनिश्चित करनी चाहिए। इंटरनेट की विफलता, बिजली की विफलता, या तकनीकी कारणों या ई–नीलामी कार्यवाही को प्रभावित करने वाले कारणों / आकस्मिकताओं के कारण किसी भी व्यवधान के लिए बैंक उत्तरदायी नही होगा। 30. कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड या उसके कर्मचारी बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति/संपत्तियों के संबंध में किसी भी व्यक्ति के किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नही होंगे। 31. वर्तमान नोटिस को बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.kotak.com पर भी अपलोड किया गया है और इच्छुक पक्ष इसे देख भी सकते हैं। 32. यदि अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में बिक्री नोटिस के प्रकाशन के बीच कोई विसंगति है, तो ऐसे मामले में अंग्रेजी समाचार पत्र स्थानीय समाचार पत्र का स्थान लेगा और इसे अंतिम प्रति के रूप में माना जाएगा, इस प्रकार अस्पष्टता को दूर किया जाएगा। 33. अधिक जानकारी के लिए कृपया अधिकृत अधिकारी **श्री मनु श्रोत्रिय (मोबाइल नंबर +919667220601)** या **बैंक के अधिकारी श्री विनोद मरानी (मोबाइल नंबर 9810004107) और श्री विपुल दुबे (मोबाइल नंबर +91–8377905113) से संपर्क करें।**

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6(2), 8(6), 8(7) और 9(1) के तहत बिक्री के संबंध में 15 दिन का कानूनी नोटिस
कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता को एतद्द्वारा निम्नलिखित में देयता का निर्वहन करने के लिए अधिसूचित किया जाता है इस नोटिस की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अद्यतन ब्याज और खर्चों के साथ ऊपर वर्णित बकाया राशि का भुगतान करें और ऐसा न करने पर "प्रतिभूत संपत्ति" (उपरोक्त वर्णित) ऊपर वर्णित नियमों और शर्तों के अनुसार बेची जाएगी।

स्थानः दिल्ली, तिथि : 11–11–2022 प्राधिकृत अधिकारी, कृते कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

युवा
अपना मतदाता पंजीकरण करें, लोकतंत्र से जुड़ें

दिल्ली मतदाता अभियान
SSR 2023
9 नवंबर से 8 दिसंबर 2022

स्पेशल कैंप
दिल्ली के सभी पोलिंग बूथ पर
12 एवं 13 नवम्बर 2022

फार्म 6 भरें

1 जनवरी 2023 तक 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के नागरिक जिनका मतदाता सूची में नाम नही है, तुरंत पंजीकरण कराएं

ऑनलाइन
वोटर हेल्पलाइन app डाउनलोड करें या www.nvsp.in पर जाएं

ऑफलाइन
अपने नजदीकी वोटर सेंटर पर जाएं
अधिक जानकारी के लिए www.ceodelhi.gov.in

करें अग्रिम आवेदन
2 जनवरी 2023 से 1 अक्टूबर 2023 के दौरान 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे नागरिक भी अग्रिम आवेदन कर सकते हैं।

ऋषभ पंत
अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेटर

हेल्पलाइन 1950
True friend of every voter

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली
ओल्ड सेंट स्टीफन कॉलेज बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006
www.ceodelhi.gov.in

फॉलो करें /ceodelhioffice
DIP/Shabdarth/D/0121/22-23